

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर**  
**पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0**

राजस्व अपील संख्या - 102/2024  
जीसीएमएस संख्या - 2024/145

अपीलान्टस :-

1. अभयसिंह पुत्र जीवराज सिंह, जाति राव
2. नरपतसिंह पुत्र जीवराज सिंह, जाति राव
3. भैरूसिंह पुत्र सूरजमल सिंह के कायम मुकाम :-
  - 3/1. कालू सिंह पुत्र स्व0 भैरूसिंह
  - 3/2. विशन सिंह पुत्र स्व0 भैरूसिंह
  - 3/3. हनवंत सिंह पुत्र स्व0 भैरूसिंह
  - 3/4. सुमेर सिंह पुत्र स्व0 भैरूसिंह

सभी जातियान राजपूत, निवासीगण ग्राम भूंगरा, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोंडेन्ट:-

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ़ जिला जोधपुर।



राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956  
विरुद्ध नोटिस दिनांक 01.07.2019 प्रकरण संख्या 02/2019, राज्य  
सरकार बनाम अभयसिंह वगैरा - न्यायालय तहसीलदार, शेरगढ़।

उपस्थिति :-

1. अधिवक्ता श्री. ओ0 प्री0 सोनी (अपीलान्टस की ओर से)।

आदेश

दिनांक : 29.01.2025

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार, शेरगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 02/2019 में जारी नोटिस दिनांक 01.07.2019 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 11.07.2019 को पेश की गई है। प्रकरण में अपीलान्ट अधिवक्ता की बहस दिनांक 20.01.2025 को सुनी जाकर पत्रावली दिनांक 29.01.2025 को आदेश हेतु रखी गई।

1. प्रकरण से संबंधित तथ्य-संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का भूंगरा ने दिनांक 01.07.2019 को कृषि वर्ष 2076 के दौरान एक रिपोर्ट तहसीलदार को पेश कर निवेदन किया कि गैर सायलान ने ग्राम भूंगरा के खसरा संख्या 040 रकबा 4-09 बीघा, किस्म गै0 मु0 रास्ता, जो ग्राम पंचायत भूंगरा के नाम

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)  
जोधपुर

राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, की 2-04 बीघा भूमि पर तारबन्दी करे सरकारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करके रास्ता को बन्द कर दिया है।

अतः अतिक्रमियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे। रिपोर्ट के सलंगन खसरा नम्बर 640 (रास्ता) व उससे लगती भूमि खसरा नम्बर 650 का नक्शा भी पेश किया। पटवारी की उक्त आशय की रिपोर्ट पर तहसीलदार शेरगढ़ ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दिनांक 01.07.2019 को दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी-गैर सायलान/अपीलान्ट्स को नोटिस जारी कर खसरा नम्बर 640 की 2-04 बीघा भूमि पर से दिनांक 10.07.2019 तक कब्जा हटाने अथवा दिनांक 10.07.2019 को उनके न्यायालय में उपस्थित होकर हेतुक दर्शित करने बाबत सूचित किया गया।

उक्त नोटिस दिनांक 01.07.2019 की पालना में अपीलान्ट्स अभय सिंह, नरपत सिंह ने दिनांक 10.07.2019 को तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर जवाब पेश कर कथन किया कि कटाण मार्ग खुला है मेरा कोई अतिक्रमण नहीं है व साक्ष्य पेश करने हेतु समय चाहा, जो दिया जाकर अगली सुनवाई तिथि दिनांक 31.07.2019 मुकर्रर की गई।

2. दिनांक 10.07.2019 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका लेने के पश्चात् अगले दिन दिनांक 11.07.2019 को यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। नोटिस दिनांक 01.07.2019 के विरुद्ध पेश की गई है जिसे दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट को जरिए नोटिस तलब कर अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया, परन्तु कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया तथा अगली सुनवाई तिथि 30.07.2019 नियत की गई। इस न्यायालय के पत्रांक 546 दिनांक 31.07.2019 से अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब करने पर तहसीलदार शेरगढ़ के पत्रांक 328 दिनांक 20.08.2019 से प्रकरण संख्या 02/2019 की मूल पत्रावली प्राप्त हुई।

3. चूंकि तहसीलदार न्यायालय में दिनांक 10.07.2019 सुनवाई के बाद अगली सुनवाई अपीलान्ट के लिखित प्रार्थना-पत्र दिनांक 10.07.2019 पर दिनांक 31.07.2019 नियत की गई थी, परन्तु दिनांक 31.07.2019 नियत तिथि पर अपीलान्ट न्यायालय तहसीलदार शेरगढ़ में उपस्थित नहीं हुए तथा न ही उनकी ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित हुआ। तहसीलदार ने दिनांक 31.07.2019 को अपीलान्ट्स को अनुपस्थित बताकर प्रकरण में एक तरफा आदेश पारित कर




*SM*  
अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)  
जोधपुर

दिया, जिसके विरुद्ध अपीलान्ट ने कोई अपील इस न्यायालय में पेश नहीं की है।

4. इस अपील के लम्बित रहने के दौरान आदेश 22 नियम 03 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना-पत्र पेश कर अपीलान्ट श्री भैरुसिंह का दिनांक 28.03.2021 को स्वर्गवास होने की सूचना दी गई तथा भैरुसिंह के वारिसान् को रिकॉर्ड पर लेने की प्रार्थना पर आदेश दिनांक 04.04.2022 को प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया गया तथा संशोधित शीर्षक अपील मीमों को रिकॉर्ड पर लिया गया।
5. अपीलान्ट्स ने तहसीलदार द्वारा प्रकरण संख्या 02/2019 में जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 01.07.2019 के विरुद्ध यह अपील पेश कर कथन किए हैं कि ग्राम भूंगरा के खसरा नम्बर 650, 651, 639, 118, 121, 136/1 की भूमि अपीलान्ट की खातेदारी भूमि आई हुई है। खसरा नम्बर 650 व 651 की भूमि में से पिछले 100 वर्षों से आम रास्ता चल रहा है, उसमें किसी प्रकार का एतराज नहीं है। तहसीलदार ने गलत नोटिस दिया है। अतिरिक्त कलक्टर जोधपुर के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार अपीलान्ट की भूमि का नापतौल किए बिना खेत में से रास्ता नहीं निकाला जावे। अपीलान्ट का खसरा नम्बर 640 व 122 से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन इनकी आड़ में खसरा नम्बर 650, 651, 118, 639, 121, 136/1 में से रास्ता नहीं निकाला जावे। खसरा नम्बर 122 व 640 पर अतिक्रमण करने का नोटिस गलत नहीं दिया। अपीलान्ट्स ने अपनी खातेदारी भूमि पर ही तारबन्दी की है। रास्ता नहीं रोका है। अपीलान्ट्स के अपनी भूमि पर पक्के मकानात् बने हुए हैं, परन्तु राजनैतिक दबाव के कारण बिना नापतौल, अपीलान्ट्स की भूमि पर से राजस्व नक्शे में हिराफेरी-तोड़-मरोड़कर रास्ता निकालना चाहते हैं।



अपीलान्ट्स का यह भी कहना है कि दिनांक 10.07.2019 के नोटिस के जवाब में जिला भू अभिलेख कार्यालय से नक्शा प्राप्त कर जवाब पेश करने हेतु एक माह का समय मांगा गया। इसका बावजूद भी कार्यवाही की जा रही है। खसरा नम्बर 640 की आड़ में अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि से रास्ता नहीं निकालने देंगे। खसरा नम्बर 640 पर अतिक्रमण करने का दिया गया नोटिस न्याय व कानून के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। इसके अतिरिक्त इस न्यायालय द्वारा राजस्व अपील संख्या 22/2018 में पारित आदेश दिनांक 21.03.2018 व 23/2018 में भी खसरा संख्या 122 पर अतिक्रमण का नोटिस दिया था जिसमें न्यायालय ने यह आदेश पारित किया था कि ग्राम भूंगरा के

  
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)  
जोधपुर

(11)

खसरा संख्या 122 रकबा 2.02 बीघा गै0 मु0 रास्ता की भूमि के पड़ौसी खसरों की खातेदारी भूमि की पैमाइश करें। अगर पड़ौसी खातेदारों द्वारा खसरा नम्बर 122 पर अतिक्रमण किया जाना पाया जावे, तो उन्हें नियमानुसार बेदखल करें जिसके संबंध में अवमानना याचिकाए चल रही है।

इस प्रकार अपीलान्ट्स को परेशान करने के लिए कभी खसरा नम्बर 122 पर तो कभी खसरा नम्बर 640 पर अतिक्रमण करने का नोटिस दिया जाता है। रेस्पोंडेन्ट इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21.03.2018 की पालना किए बिना ही अपीलान्ट्स को कुछ लोग संगठित होकर परेशान कर रहे हैं।

अतः प्रकरण संख्या 02/2019 में जारी नोटिस दिनांक 01.07.2019 को निरस्त फरमाया जावे तथा इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 22/2018 व 23/2018 में पारित आदेश की पालना करवाई जाकर खसरा नम्बर 122 व 640 तथा खसरा नम्बर 650, 651 के बीच सही सीमांकन करवाया जावे तथा खसरा नम्बर 650 व 651 की भूमि पर से रास्ता नहीं निकाला जावे तथा अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार की जावे। अपीलान्ट्स की फॉर्म संख्या 03 में निम्न दस्तावेजों की फोटोप्रतियाँ पेश की है :-

1. नकल नोटिस दिनांक 10.07.2019
2. नकल आदेश दिनांक 08.02.2018, अपील संख्या 23/2018
3. नकल फैसला दिनांक 21.03.2018, अपील संख्या 22/2018 व 23/2018
4. नकल प्रार्थना-पत्र 22.07.2017
5. फोटोप्रति पत्रांक 408 दिनांक 17.06.2019, जो तहसीलदार शेरगढ़ को लिखा गया।
6. फोटोप्रति-प्रार्थना पत्र दिनांक 17.06.2019
7. फोटोप्रति प्रार्थना-पत्र एस0 पी0 जोधपुर के नाम।
8. फोटोप्रति अवमानना प्रार्थना-पत्र दिनांक 07.06.2019 मय स्थगन प्रार्थना-पत्र
9. खसरा गिरदावरी खसरा नम्बर 650 व 651, संवत् 2046 से 2049
10. नकल पासबुक खसरा नम्बर 118, 121, 136/1, 639
11. नकल नक्शा खसरा नम्बर 121, 136/1 एवं 118
12. फोटोप्रति प्रार्थना-पत्र दिनांक 10.07.2019 (प्रकरण संख्या 02/2019 व 04/2019)




अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)  
जोधपुर

13. नोटिस धारा 91-प्रकरण संख्या 23/2018
14. जमाबन्दी व मिसल खसरा नम्बर 650, 651
15. अपील संख्या 21/2018 में पारित आदेश दिनांक 21.03.2018 की फोटोप्रति
16. प्रार्थना-पत्र दिनांक 04.01.2018

6. अपीलान्ट्स अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक श्री ओ० पी० सोनी ने अपनी बहस शुरू करते हुए अपील मीमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश विधि प्रावधानों के विरुद्ध होने से अपास्त योग्य है। अपीलान्ट्स की खसरा नम्बर 650, 651 में खातेदारी भूमि आई हुई है उससे लगते हुए खसरा नम्बर 122 व 640 गै० मु० रास्ता की भूमि है। अपीलान्ट्स ने खसरा नम्बर 122 व 640 की भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया है बल्कि अपनी भूमि खसरा नम्बर 650, 651, 118, 136/1, 121 पर ही कब्जा है। पूर्व में भी इसी प्रकार से कार्यवाही की गई थी, जिसमें अपील संख्या 22/2018, 23/2018 में पारित आदेश दिनांक 21.03.2018 में न्यायालय ने निर्देश दिये थे। मौके पर सही नापचौक कर खसरा नम्बर 122 व 640 का सीमांकन किया जावे तथा इससे लगती खातेदारों की भूमि की भी पैमाईश की जावे। उसके पश्चात ही अगर खसरा नम्बर 122 व 640 की भूमि पर अतिक्रमण पाया जाता है, तो बेदखली की कार्यवाही की जावे। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार शेरगढ़ ने आदेश दिनांक 05.06.2018 को टीम गठित की थी। टीम ने दिनांक 02.07.2018 को मौका फर्द तैयार की तथा भू.अ. निरीक्षक ने दिनांक 05.07.2018 को रिपोर्ट पेश की कि पटवारी भूंगरा के पास उपलब्ध लट्ठा ट्रेस व कलेक्टर (भू०अ०) जोधपुर द्वारा जारी नक्शा की प्रति दिनांक 8465/23.06.2017 में अन्तर है तथा खसरा नम्बर 122 व 640 के बीच की सीमा का निर्धारण नहीं हो रहा है। जिस पर तहसीलदार शेरगढ़ ने पत्रांक 260 दिनांक 09.07.2018 से श्रीमान जिला कलेक्टर (भू.अ.) महोदय जोधपुर को ऐसी स्थिति में भूमि का सही सीमांकन भू-प्रबन्ध विभाग से करवाने का निवेदन किया था तथा दिनांक 07.12.2019 को स्मरण पत्र भी लिखा है परन्तु इस बाबत आज दिनांक तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है तथा पटवारी के पास उपलब्ध लट्ठा ट्रेस के आधार पर ही नाप कर अपीलांट को खसरा नम्बर 122 व 640 की भूमि पर अतिक्रमी माना जाकर कार्यवाही की जा रही है क्योंकि



  
अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)  
जोधपुर

खसरा नम्बर 651, 650, 118, 121, 136/1 की भूमियां खसरा नम्बर 122 व 640 से लगती हुई है तथा कटाण मार्ग की चौड़ाई मात्र 4 गठ्ठा साधारणतः होती है, जिस कारण सही नाप कराए बिना अपीलान्ट को नाहक परेशान किया जा रहा है। हमारी खातेदारी की भूमि का रकबा पूरा कर दिया जावे तथा खसरा नम्बर 650 व 122 पर अतिक्रमण पाया जावे तो हम हटाने को तैयार है। परन्तु सात साल बाद भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा राजनैतिक द्वेषता से हमे परेशान किया जा रहा है। आज के वैज्ञानिक युग में सर्वे की नई तकनीकें उपलब्ध है, उनसे सही सर्वे करवाया जा सकता है, परन्तु सही सर्वे नहीं कराया गया है तथा उसी पुराने कब्जे के आधार पर प्रतिवर्ष नया नोटिस दिया जाकर हमें बेवजह परेशान किया जा रहा है तथा पुलिस बल के प्रयोग से तोड़फोड़ की गई है, जिस बाबत अवमानना की कार्यवाही इसी न्यायालय में लम्बित है।

तहसीलदार शेरगढ़ ने दिनांक 29.05.2019 को विवादित खसरों का सीमाज्ञान कराया है तथा उसके आधार पर दिनांक 10.06.2019 को अतिक्रमण हटाया जाकर दिनांक 15.09.2019 को पालना रिपोर्ट पेश की है, जो सही नहीं है क्योंकि ये सर्वे रिपोर्ट लट्ठा ट्रेस से तैयार की गई है जबकि तहसीलदार स्वयं ने पत्र दिनांक 09.07.2018 से भू प्रबन्ध विभाग से सर्वे कराने का निवेदन किया था। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावे तथा तहसीलदार द्वारा जारी नोटिस दिनांक 01.07.2019 को अपास्त किया जावे।



हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का भलीभांति अध्ययन किया तथा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों व कथनों पर गहनता से विचार कर उन पर मनन किया। हमारा सुविचारित निष्कर्ष इस प्रकार है :-

(1) ग्राम भूंगरा का खसरा नम्बर 640 रकबा 4-09 बीघा तथा खसरा नम्बर 122 रकबा 15-12 बीघा राजस्व अभिलेखों में गै0 मु0 रास्ता, ग्राम पंचायत भूंगरा के नाम दर्ज है।

खसरा नम्बर 650, 651, 121, 118 व खसरा नम्बर 136/1, 639 के मध्य में से खसरा नम्बर 122 तथा 640 गै0 मु0 रास्ता नक्शे में दर्शाया है।

(2) पटवारी हल्का भूंगरा ने दिनांक 01.07.2019 को तहसीलदार शेरगढ़ को रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि अपीलान्ट्स ने ग्राम भूंगरा के खसरा नम्बर 640 रकबा 4-09 बीघा किस्म गै0 मु0 रास्ता, ग्राम पंचायत भूंगरा की 2-04 बीघा भूमि पर तारबंदी करके आम सार्वजनिक रास्ते को बन्द कर दिया है,

*SM*  
अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)  
जोधपुर

14

अतः अतिक्रमियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे। पटवारी की उक्त रिपोर्ट पर न्यायालय तहसीलदार शेरगढ़ ने दिनांक 01.07.2019 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण संख्या 02/2019 दर्ज रजिस्टर दिनांक 01.07.2019 को राजस्थान भू राजस्व (अतिक्रमियों की बेदखली) नियम, 1975 क नियम-3 के तहत प्ररूप-अ में, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 की उपधारा 3 के तहत ग्राम भूंगरा के खसरा नम्बर 640 किस्म गै0 मु0 रास्ता की 2-04 बीघा भूमि पर किए गये अतिक्रमण की सूचना देते हुए दिनांक 10.07.2019 तक अतिक्रमण हटाने को अपेक्षा करते हुए दण्ड के बारे में संसूचित किया तथा यह भी सूचित किया कि अन्यथा वह भी दिनांक 10.07.2019 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष पेश कर सकता है।

(3) अपीलान्त अभयसिंह व नरपतसिंह दिनांक 10.07.2019 को तहसीलदार शेरगढ़ के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा लिखित प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया कि जोधपुर से भू-अभिलेखागार से नकले प्राप्त करके रिकॉर्ड की सही स्थिति बताने में समय लगेगा, अतः जवाब पेश करने हेतु समय दिया जावे। इसके अतिरिक्त यह भी लिखा कि कटाण मार्ग खुला है। मेरा कोई अतिक्रमण नहीं है। उक्त प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करते हुए न्यायालय मे अगली सुनवाई तिथि 31.07.2019 नियत की। परन्तु अपीलान्ट्स ने दिनांक 31.07.2019 को अधीनस्थ विचारण न्यायालय तहसीलदार शेरगढ़ में अपना पक्ष पेश नहीं करते हुए, तहसीलदार द्वारा दिनांक 01.07.2019 को जारी उक्त विवरण के कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध यह अपील दिनांक 11.07.2019 को इस न्यायालय में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत पेश की है।



(4) न्यायालय तहसीलदार शेरगढ़ से प्रकरण संख्या 02/2019 से सम्बंधित मूल पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलान्ट्स की प्रार्थना 10.07.2019 पर ही दी गई सुनवाई तिथि दिनांक 31.07.2019 को अपीलान्ट्स न्यायालय तहसीलदार शेरगढ़ में पेश नहीं हुए तथा न ही उनका कोई प्रतिनिधि पेश हुआ। अतः तहसीलदार ने अपीलान्ट्स के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रकरण को अंतिम रूप से निर्णीत करते हुए, अपीलान्त को ग्राम भूंगरा के खसरा नम्बर 640 (गै0 मु0 रास्ता) की 2-04 बीघा भूमि पर अतिक्रमी घोषित करते हुए अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा 50 (पचास)

SM  
अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)  
जोधपुर

रूपये का जुर्माना आरोपित कर दिया, जिसके विरुद्ध कोई अपील इस न्यायालय में पेश नहीं की है।

(5) उपर्युक्त तथ्यात्मक विवरण के प्रक्रम में हमारे समक्ष यह विधिक प्रश्न है कि क्या राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत मात्र प्रारंभिक कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध धारा 75 आरएलआर एक्ट 1956 में की जा सकती है तथा वह मेन्टेनेबल है ? उक्त यक्ष प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने हेतु -

(a) राज.भू.रा.अधिनियम 1956, की धारा 75 का सुसंगत प्रावधान इस प्रकार है:-

" 75. प्रथम अपील- सिवाय, जबकि इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित किया गया हो, प्रथम अपील - shall lie

(क) भू.प्रबंध अथवा भू.अभिलेख से असंबंधित मामले में तहसीलदारों द्वारा दी गई मूल आज्ञा से, कलक्टर को, (ख से घ).....

(a) to the collector from the original order passed by a tehsildar in matters, not connected with settlement or land records.

उक्त विधिक प्रावधान से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पारित मूल आदेश (original order) के विरुद्ध प्रथम अपील कलक्टर को होगी, अर्थात् अपील मूल आदेश के विरुद्ध ही होगी। अंतर्वर्ती आदेश (interlocutory order) के विरुद्ध प्रथम अपील नहीं होगी। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2 की उपधारा (14) में आदेश (order) की परिभाषा दी गई है, जो इस प्रकार है:-

2.(14)- 'आदेश' से सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति (formal expression) अभिप्रेत है जो डिक्री नहीं है।

(b) इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान ने 1993 RRD 762(शंकरलाल बनाम सोहनलाल व अन्य ) में यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां तहसीलदार ने राज.भू.रा.अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विस्तृत जांच करके पक्षकारों के अधिकारों को विनिश्चित कर दिया है, वह आदेश ही अपीलीय होगा तथा 1989 RRD 788 (स्टेट बनाम खुदाबक्स) व 1990 RRD 115 (मोहन सिंह बनाम हीरा ) में दी गई व्यवस्था से असहमति दी। 1989 RRD 788 (में ACC की जांच रिपोर्ट को आदेश नहीं माना तथा अपील चलने योग्य नहीं होना तय किया गया। इसी प्रकार 1990 RRD 115 में



अपर जिला कलक्टर (प्रथम)  
जोधपुर

निर्धारित हुआ कि कलक्टर द्वारा भेजा गया/इन्कार किया गया रेफरेन्स मात्र Expression of opinion है।

जिसके विरुद्ध कोई अपील या रिविजन नहीं हो सकती। हस्तगत अपील में भी तहसीलदार ने अपीलांट के पक्ष/विरुद्ध में अधिकारों का निर्धारण कर आदेश पारित नहीं किया है बल्कि मात्र हेतुक दर्शित करने हेतु नोटिस जारी किया है, जिसके विरुद्ध यह अपील पेश हुई है, उक्त विधिक व तथ्यात्मक विवेचनानुसार अपीलांट द्वारा तहसीलदार, शेरगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 02/2019 में जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 01.07.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत यह अपील इस न्यायालय के समक्ष कानूनन चलने योग्य नहीं है। अतः इस अपील पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय करने का कोई अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार योग्य है।

#### आदेश

उक्त निष्कर्ष अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख आदेश की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम हो।



(जवाहर चौधरी) 25  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)  
अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)  
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 29.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी) 25  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)  
जोधपुर